प्रकरण संख्या 11/2017　　2017/00025　　ता०रजू 03.07.2017

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक नादौती　　— प्रार्थी

बनाम

श्री भरतसिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत पाल तहसील नादौती जिला करौली
— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सीज्ड किये गये 957 लीटर केरोसीन को राजसात् करने बाबत्

निर्णय

दिनांक 04.09.2019

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया के दिनांक 11.05.2017 से 13.05.2017 तक जिले के भ्रमण के दौरान खाद्य विभाग जयपुर द्वारा गठित जॉच दल द्वारा भरतसिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत पाल तहसील नादौती की दिनांक 13.05.2017 से 15.05.2017 तक जॉच की गई जिसमें निम्न अनियमिततायें पायी गईं–

1. डीलर द्वारा वक्त जॉच मूल प्राधिकार पत्र, स्टॉक रजिस्टर, ब्लू प्रिन्ट, मासिक रिटर्न की प्रति, ई–सूची एवं यूनिट रजिस्टर को वक्त जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. वितरण का सत्यापन ग्राम सभा द्वारा नहीं कराया जा रहा है।
3. दुकान पर पीडीएस ऑर्डर 2015 के खण्ड 10(4) के अनुरूप सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं करना।
4. अंकेक्षण अवधि में डीलर भरतसिंह को 23400 लीटर केरोसीन तेल आपूर्ति किया गया था तथा डीलर द्वारा 20509.30 लीटर केरोसीन का पोश मशीन से वितरण करने के बाद 2890.700 लीटर केरोसीन शेष होना चाहिये था। जबकि भौतिक सत्यापन के दौरान 3960 लीटर केरोसीन पाया। इस प्रकार मुताबिक अंकेक्षण सत्यापन करने पर 1069.300 लीटर केरोसीन तेल अधिक पाया। जांच दल द्वारा की गई जांच रिपोर्ट दिये गये निर्देशो एवं श्रीमान जिला रसद अधिकारी महोदय के आदेश की पालना में प्रार्थी द्वारा उचित मूल्य दुकानदार श्री भरतसिंह से कई बार केरोसीन तेल जब्ती हेतु सम्पर्क किया गया। परन्तु डीलर द्वारा जब्ती में सहयोग नहीं करने के कारण उक्त जप्ती की कार्यवाही दिनांक 28.06.2017 में की गई जिसमें श्री भरतसिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत पाल से जांच दल की जांच दिनांक 13.05.2017 से 15.05.2017 में स्टॉक में अधिक बताये गये 1069.300 लीटर केरोसीन के परिप्रेक्ष्य में डीलर द्वारा प्रार्थी को 957 लीटर केरोसीन तेल उपलब्ध कराया जिसको जब्त कर नजदीकी ग्राम पंचायत राजाहेडा के उचित मूल्य दुकानदार श्री जहूर मोहम्मद को सुपुर्द किया गया एवं खुर्द बुर्द नहीं करने व सही हालत में रखने हेतु पाबन्द किया गया।

इस प्रकार जांच दल द्वारा दिनांक 13.05.2017 से 14.05.2017 तक श्री भरतसिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत पाल तहसील नादौती की जाचं की गई। डीलर द्वारा उक्त अनियमिततायें कारित कर राजस्थान खाद्यान्न एावं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 के खण्ड 3 तथा इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो 2, 5, 6, 8, 10, 11, 17सी व 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है एवं पीडीएस ऑर्डर 2015, एनएफएसए 2013 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अंत में प्रार्थना पत्र

जिला कलक्टर
करौली

स्वीकार कर जप्तशुदा 957 लीटर केरोसीन तेल मय 5 लोहे के ड्रम जो कि रिसाव रहित है, को राजसात करन किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।

वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ग्राम पंचायत पाल तहसील नादौती जिला करौली की उचित मूल्य दुकानदार है जिसके प्राधिकार पत्र संख्या 132/2005 है एवं प्राधिकार पत्र की प्रति प्रदर्श–1 संलग्न प्रस्तुत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदया के करौली जिले के भ्रमण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देशानुसार खाद्य विभाग मुख्यालय जयपुर द्वारा गठित जांच दल द्वारा कुछ चयनित उचित मूल्य दुकानदारों को टार्गेट बनाकर राजनैतिक रंजिशवश दिनांक 13.05.2017 को याचिकाकर्ता की दुकान की जाचं की गई, तत्पश्चात् जिला रसद अधिकारी, करौली के आदेश दिनांक 13.05.2017 द्वारा याचिकाकर्ता के प्राधिकार पत्र को 90 दिवस हेतु निलंबित किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा करौली जिले में उचित मूल्य दुकानदार एवं खाद्यान्न थोक विक्रेताओं की जांच हेतु जांच दल गठित किये जाने बाबत कार्यालय आदेश जारी किया। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त आदेश बैक डेट में जारी किया गया है क्योंकि उक्त कार्यालय आदेश में ऊपर दिनांक 12.05.2017 अंकित की गई है लेकिन सहायक आयुक्त द्वारा उक्त आदेश दिनांक 15.05.2017 में जारी किया गया है जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि समस्त जांच कार्यवाही राजनैतिक रंजिशवश जांच दल के गठन से पूर्व ही कर ली गई है। आदेश दिनांक 12/15.05.2017 प्रदर्श–2 संलग्न है। खाद्य विभाग द्वारा गठित जांच दल के सदस्य श्री वीरेन्द्र सिंह शेखावत, जिला रसद अधिकारी, सवाईमाधोपुर, श्री शशि शेखर शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर द्वितीय एवं श्री ज्ञानचंद प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर द्वितीय द्वारा दिनांक 13.05.2017 से 15.05.2017 तक प्रार्थी की दुकान की जांच की गई एवं जांच उपरान्त दिनांक 19.05.2017 को प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें प्रार्थी की दुकान में 1069.30 लीटर केरोसीन अधिक पाये जाने का आरोप अंकित किया एवं प्रवर्तन अधिकारी नादौती द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्रकरण में प्रकरण दर्ज कर प्रार्थी के कारोबार परिसर में 957 लीटर केरोसीन का अवैध भण्डारण मानते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस बाबत प्रार्थी को श्रीमान् न्यायालय जिला कलक्टर, करौली द्वारा दिनांक 18.07.2017 को नोटिस जारी कर दिनांक 24.07.2017 को उपस्थित होने बाबत सूचित किया गया जो कि उक्त नोटिस प्रार्थी को दिनांक 26.07.2017 को तामील हुआ। जिसमें सुनवाई व जबाव हेतु आज की तारीख पेशी नियत है। नोटिस दिनांक 18.07.2017 प्रदर्श–3 तामील रिपोर्ट प्रदर्श–4 संलग्न प्रस्तुत है। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा खाद्य विभाग द्वारा गठित जांच दल द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर अपने आदेश दिनांक 22.06.2017 द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया गया जिसको प्रार्थी द्वारा जरिये याचिका माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी जो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.08.2017 द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका को स्वीकार करते हुए खाद्य विभाग द्वारा गठित जांच द्वारा की गई कार्यवाही को संदेहास्पद मानते हुए प्राधिकार पत्र को निरस्तीकरण आदेश दिनांक 22.06.2017 को निरस्त कर दिया गया। आदेश दिनांक 09.08.2017 की प्रति प्रदर्श–5 संलग्न प्रस्तुत है। खाद्य विभाग द्वारा गठित जांच दल द्वारा उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण आनन–फानन मे प्रार्थी की दुकान की जांच की गई एवं वक्त जांच ना तो कोई तोल–पट्टी बनायी गयी एव ना ही रसद सामग्री का भौतिक सत्यापन किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा सितम्बर 2016 से मई 2017 तक 23400 लीटर केरोसीन का वितरण पोश मशीन से कर

जिला कलक्टर
करौली

दिया गया। इस प्रकार प्रार्थी के पास कुल 1121.05 लीटर केरोसीन बचना चाहिए था लेकिन चूंकि केरोसीन एक तरल पदार्थ है जो कि वितरण के समय एवं भराव के समय केरोसीन की काफी मात्रा नष्ट हो जाती है जिस बाबात राजस्थान सरकार खाद्य विभाग द्वारा दिनांक 25.03.1994 को परिपत्र जारी कर 1.5 प्रतिशत तक के अन्तर की मात्रा को छीजत मानते हुए प्रकरण दर्ज नहीं करने बाबत दिशा–निर्देश पारित किये गये है। चूंकि वक्त जांच प्रार्थी के गोदाम में 957 लीटर केरोसीन पाया गया जिसको जांच दल द्वारा बिना किसी उचित निष्कर्ष के अधिक माना जाकर प्रार्थी के स्टॉक में रखे केरोसीन को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त किया गया जो कि कतई रूप से उचित नहीं था क्योंकि प्रार्थी के पास वितरण के पश्चात् 1121.05 लीटर केरोसीन शेष स्टॉक में बचना चाहिए लेकिन 164.05 लीटर केरोसीन छीजत के कारण नष्ट हो गया जिसके लिए विभाग द्वारा स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं एवं 957 लीटर केरोसीन प्रार्थी के स्टॉक में मौजूद था लेकिन जांच दल द्वारा उक्त शेष केरोसीन को अधिक माना जाकर प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया जो कि कानूनन रूप से कतई उचित नहीं है। केरोसीन के उठाव व वितरण के बिल एवं स्टॉक रजिस्टर की प्रति एवं ट्रांजेक्शन रिपोर्ट मय चार्ट की फोटो प्रति संयुक्त रूप से प्रदर्श–6 संलग्न है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया है कि:– "Talking into consideration the aforesaid, it could not be clarified as to how the inspection was made on 13th May, 2017 when the order for constitution of teams was received on 15th May, 2017 onwards and the impugned order is in reference to the report of the inspection teams. The orders are otherwise almost verbatim the same thus the respondents have acted in cyclostyle manner. It seems to be due to visit of the Chief Minister between 11th May, 2017 and 13th May, 2017. While recording the impugned order in the same language, quantity of the food grain, kerosene etc. has been mentioned individually. The order of suspension was passed on 13th May, 2017 and cancellation of authorization of the fair price shop was made almost in a period of one month after notice for hearing. The termination of the authorization of fair price shop is, however, in reference to the report of the inspection teams. The report of its constitution thus cannot be relied or be trusted." अर्थात् माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.08.2017 में खाद्य विभाग द्वारा गठित जांच दल द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही को संदेहास्पद मानते हुए उसके ऊपर विश्वास नहीं किया गया एवं जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा पारित निरस्तीकरण आदेश दिनांक 22.06.2017 को भी सेट–असाईड कर दिया। यहां यह उल्लेखनीय है कि जब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जांच कार्यवाही को ही संदेहास्पद मानते हुए जांच रिपोर्ट को ही निरस्त किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में उसी जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। अंत में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया के दिनांक 11.05.2017 से 13.05.2017 तक जिले के भ्रमण के दौरान खाद्य विभाग जयपुर द्वारा गठित जॉच दल द्वारा भरतसिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत पाल तहसील नादौती की दिनांक 13.05.2017 से 15.05.2017 तक जॉच की गई। जांच में डीलर द्वारा वक्त जॉच मूल प्राधिकार पत्र, स्टॉक रजिस्टर, ब्लू प्रिन्ट, मासिक रिटर्न की प्रति, ई–सूची एवं यूनिट रजिस्टर को वक्त जांच हेतु प्रस्तुत

जिला कलक्टर करौली

नहीं करना, वितरण का सत्यापन ग्राम सभा द्वारा नहीं कराया जाना, दुकान पर पीडीएस ऑर्डर 2015 के खण्ड 10(4) के अनुरूप सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं करना पाया गया। अंकेक्षण अवधि में डीलर भरतसिंह को आपूरित 23400 लीटर केरोसीन तेल में से 20509.30 लीटर केरोसीन का पोश मशीन से वितरण करने के बाद 2890.700 लीटर केरोसीन शेष होना चाहिये था जबकि भौतिक सत्यापन के दौरान 3960 लीटर केरोसीन पाया जो अवशेष स्टॉक से 1069.300 लीटर केरोसीन तेल अधिक था। जब्ती की कार्यवाही में डीलर द्वारा उक्त जप्ती की कार्यवाही दिनांक 28.06.2017 में की गई जिसमें अप्रार्थी द्वारा 1069.300 लीटर केरोसीन की अपेक्षा 957 लीटर केरोसीन उपलब्ध करवाया गया जिसे राजसात् किया जाना है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया के करौली जिले के भ्रमण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देशानुसार खाद्य विभाग मुख्यालय जयपुर द्वारा गठित जांच दल द्वारा कुछ चयनित उचित मूल्य दुकानदारों को टार्गेट बनाकर राजनैतिक रंजिशवश दिनांक 13.05.2017 को याचिकाकर्ता की दुकान की जाचं की गई, तत्पश्चात् जिला रसद अधिकारी, करौली के आदेश दिनांक 13.05.2017 द्वारा याचिकाकर्ता के प्राधिकार पत्र को 90 दिवस हेतु निलंबित किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा करौली जिले में उचित मूल्य दुकानदार एवं खाद्यान्न थोक विक्रेताओं की जांच हेतु जांच दल गठित किये जाने बाबत कार्यालय आदेश जारी किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त आदेश बैक डेट में जारी किया गया है क्योंकि उक्त कार्यालय आदेश में ऊपर दिनांक 12.05.2017 अंकित की गई है लेकिन सहायक आयुक्त द्वारा उक्त आदेश दिनांक 15.05.2017 में जारी किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि समस्त जांच कार्यवाही राजनैतिक रंजिशवश जांच दल के गठन से पूर्व ही कर ली गई है। खाद्य विभाग द्वारा गठित जांच दल के सदस्य श्री वीरेन्द्र सिंह शेखावत, जिला रसद अधिकारी, सवाईमाधोपुर, श्री शशि शेखर शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर द्वितीय एवं श्री ज्ञानचंद प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर द्वितीय द्वारा दिनांक 13.05.2017 से 15.05.2017 तक प्रार्थी की दुकान की जांच की गई एवं जांच उपरान्त दिनांक 19.05.2017 को प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें प्रार्थी की दुकान में 1069.30 लीटर केरोसीन अधिक पाये जाने का आरोप अंकित किया एवं प्रवर्तन अधिकारी नादौती द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्रकरण में प्रकरण दर्ज कर प्रार्थी के कारोबार परिसर में 957 लीटर केरोसीन का अवैध भण्डारण मानते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा खाद्य विभाग द्वारा गठित जांच दल द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर अपने आदेश दिनांक 22.06.2017 द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया गया जिसको प्रार्थी द्वारा जरिये याचिका माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी जो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.08.2017 द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका को स्वीकार करते हुए खाद्य विभाग द्वारा गठित जांच द्वारा की गई कार्यवाही को संदेहास्पद मानते हुए प्राधिकार पत्र का निरस्तीकरण आदेश दिनांक 22.06.2017 को निरस्त कर दिया गया। आदेश दिनांक 09.08.2017 की प्रति प्रदर्श–5 संलग्न प्रस्तुत है। खाद्य विभाग द्वारा गठित जांच दल द्वारा उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण आनन–फानन मे प्रार्थी की दुकान की जांच की गई एवं वक्त जांच ना तो कोई तोल–पट्टी बनायी गयी एवं ना ही रसद सामग्री का भौतिक सत्यापन किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा सितम्बर 2016 से मई 2017 तक 23400 लीटर केरोसीन का वितरण पोश मशीन से कर दिया गया। इस प्रकार प्रार्थी के पास कुल 1121.05 लीटर केरोसीन बचना चाहिए था लेकिन चूंकि केरोसीन एक तरल पदार्थ है जो कि वितरण के समय एवं भराव के समय

जिला कलक्टर
करौली

केरोसीन की काफी मात्रा नष्ट हो जाती है जिस बाबत राजस्थान सरकार खाद्य विभाग द्वारा दिनांक 25.03.1994 को परिपत्र जारी कर 1.5 प्रतिशत तक के अन्तर की मात्रा को छीजत मानते हुए प्रकरण दर्ज नहीं करने बाबत दिशा-निर्देश पारित किये गये है। चूंकि वक्त जांच प्रार्थी के गोदाम में 957 लीटर केरोसीन पाया गया जिसको जांच दल द्वारा बिना किसी उचित निष्कर्ष के अधिक माना जाकर प्रार्थी के स्टॉक में रखे केरोसीन को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त किया गया जो कि कतई रूप से उचित नहीं था क्योंकि प्रार्थी के पास वितरण के पश्चात् 1121.05 लीटर केरोसीन शेष स्टॉक में बचना चाहिए लेकिन 164.05 लीटर केरोसीन छीजत के कारण नष्ट हो गया जिसके लिए विभाग द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं एवं 957 लीटर केरोसीन प्रार्थी के स्टॉक में मौजूद था लेकिन जांच दल द्वारा उक्त शेष केरोसीन को अधिक माना जाकर प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया जो कि कानूनन रूप से कतई उचित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया है कि:- "Talking into consideration the aforesaid, it could not be clarified as to how the inspection was made on 13th May, 2017 when the order for constitution of teams was received on 15th May, 2017 onwards and the impugned order is in reference to the report of the inspection teams. The orders are otherwise almost verbatim the same thus the respondents have acted in cyclostyle manner. It seems to be due to visit of the Chief Minister between 11th May, 2017 and 13th May, 2017. While recording the impugned order in the same language, quantity of the food grain, kerosene etc. has been mentioned individually. The order of suspension was passed on 13th May, 2017 and cancellation of authorization of the fair price shop was made almost in a period of one month after notice for hearing. The termination of the authorization of fair price shop is, however, in reference to the report of the inspection teams. The report of its constitution thus cannot be relied or be trusted." अर्थात् माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.08.2017 में खाद्य विभाग द्वारा गठित जांच दल द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही को संदेहास्पद मानते हुए उसके ऊपर विश्वास नहीं किया गया एवं जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा पारित निरस्तीकरण आदेश दिनांक 22.06.2017 को भी सेट-असाईड कर दिया। यहां यह उल्लेखनीय है कि जब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जांच कार्यवाही को ही संदेहास्पद मानते हुए जांच रिपोर्ट को ही निरस्त किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में उसी जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। अंत में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। राज्य सरकार द्वारा गठित जांच दल द्वारा दिनांक 13.05.2017 व 14.05.2017 अप्रार्थी श्री ग्राम पंचायत पाल के राशन डीलर श्री भरतसिंह की दुकान की जांच की गई जिसमें वक्त जांच मूल प्राधिकार पत्र, स्टॉक रजिस्टर, ब्लू प्रिन्ट, मासिक रिटर्न की प्रति, ई-सूची एवं यूनिट रजिस्टर को वक्त जांच हेतु प्रस्तुत नहीं करना, वितरण का सत्यापन ग्राम सभा द्वारा नहीं कराया जाना, दुकान पर पीडीएस ऑर्डर 2015 के खण्ड 10(4) के अनुरूप सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं करना पाया गया। अंकेक्षण अवधि में डीलर भरतसिंह को आपूरित 23400 लीटर केरोसीन तेल में से 20509.30 लीटर केरोसीन का पोश मशीन से वितरण करने के बाद 2890.700 लीटर केरोसीन शेष होना चाहिये था जबकि भौतिक सत्यापन के दौरान 3960 लीटर केरोसीन पाया जो अवशेष स्टॉक से 1069.300 लीटर केरोसीन तेल अधिक था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 13.

जिला ...
करौली

05.2017 से दिनांक 15.05.2017 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के सिविल रिट याचिका संख्या 11925/2017 निर्णय दिनांक 09.08.2017 से निरस्त की जा चुकी है एवं राज्य सरकार द्वारा दायर द्वितीय सिविल स्पेशल अपील मु.नं. 1619/17 दिनांक 04.12.2017 को खारिज हो चुकी है जिसमें प्रार्थी को पुनः जांच करने की स्वतंत्रता दी गई थी। प्रार्थी द्वारा पुनः जांच कर रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, करौली को निर्देश दिये जाते हैं कि तत्कालीन रिकॉर्ड के आधार पर पुनः जांच की जावे। जांचोपरांत यदि अप्रार्थी दोषी पाया जाता है अथवा कोई अनियमितता पाई जाती है तो पुनः प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया जावे अन्यथा जब्तशुदा सामग्री को नियमानुसार पोश मशीन से वितरण करवा दिया जावे। जांच होने तक जब्तशुदा सामग्री जब्त रहेगी। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, करौली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
करौली